

भू – उपयोग के जानकारी की प्रक्रिया

आगरा महायोजना - 2021, परिक्षेत्रीय योजना जोन – 2 एवं जोन - 6 के परिप्रेक्ष्य में भू-उपयोग की जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने का प्रावधान है-

- | | | |
|--|-----------|--------|
| 1. भूमि क्षेत्रफल 5000 वर्ग मी० तक | शुल्क रू० | 110.00 |
| 2. भूमि क्षेत्रफल 5000 वर्ग मी० से अधिक होने पर प्रत्येक 5000 वर्ग मी० या उसके भाग पर। | शुल्क रू० | 55.00 |

अतः उपरोक्तनुसार शुल्क जमा कराने के पश्चात नियोजन अनुभाग में उपलब्ध महायोजना -2021 अथवा परिक्षेत्रीय योजना जोन- 2 एवं जोन 6 के आधार पर भू- उपयोग की जानकारी दी जाती है।